31-1-19

वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना-पत्र
O-7-R-11 CPC पर बहस सुनी गई पत्रावली
वास्ते आदेश प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-2-19
को पेश हो।

04.02.2019

वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रतिवादी संख्या 9 की और से जरिये अधिवक्ता दिनांक 25.10.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि उक्त अनवानी वाद पत्र में वादी ने चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 23/35 के मुरब्बा नम्बर 47 की कुल 3.162 हैक्टर व इसी चक 3 बी छोटी के संयुक्त खाता संख्या 50/47 के मुरब्बा नम्बर 19, 47 व 48 की कुल 15.597 हैक्टर नहरी मय खाला का बंटवारा करने का अनुतोष चाहा है

वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 23/45 व खाता संख्या 50/47 की कृषि भूमि में से केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा क की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1450(अ), दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित हुई जिसके अनुसार राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज के तहत श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर तक प्रस्तावित सडक निमार्ण में भूमि आवाप्त/अर्जन करना प्रस्तावित हुई है जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है जिसकी सार्वजनिक सूचना दैनिक अखबार में प्रकाशित हो चुकी है जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 23/45 व खाता संख्या 50/47 की कृषि भूमि में आवाप्ति हेतू राजपत्र में अधिसूचना प्रस्तावित होने के कारण वाद विधि द्वारा वर्जित हो गया है तथा उक्त प्रस्तावित सड़क से पूर्व खाता विभाजन किया जाने से राजस्व रिकार्ड में अंकन करने में भी बांधा बनी रहेगी। वादी ने वाद पत्र भूमि आवाप्ति के तथ्यों को छिपाकर बिना किसी वाद हेतूक केवल मात्र इन्कारी के मिथ्या तथ्य वर्णित करते हुए प्रतिवादीगण को तंग करने की नीयत से तथा प्रस्तावित भारतमाला की भूमि पर स्वयं का काबिज होना दर्शाकर मिथ्या तथ्य वर्णित करते हुए वाद पत्र पेश किया गया है जबकि संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक सहकाश्तकार प्रत्येक किला पर समान रूप काबिज होता है।

चक 3 बी छोटी के संयुक्त खाता संख्या 23/45 व संयुक्त खाता संख्या 50/47 के प्रत्येक सहकाश्तकारान का प्रत्येक किला की भूमि पर कब्जा होता है इसलिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना का निस्तारण होने से पूर्व खाता विभाजन किये जाने से सह काश्तकारान के हक व हितो पर विपरीत असर पड़ेगा तथा वाद बाहूल्य भी बढ़ेगा तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा इसलिए उक्त खातो की भूमि में अवाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित हो जाने के कारण वाद को इसी स्टेज पर निरस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में अंकित वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित तथ्य लाइल्मी हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार हैं। वाद पत्र किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं और ना ही वादी ने किन्ही तथ्यों को छिपाया है।

Continuation Note Sheet

..... लगातार

वाद पत्र की मद संख्या 4 आधारहीन है, अतः अस्वीकार है। विभाजन के बाद में माननीय न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है तथा उसके बाद तहसीलदार से भूमि विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया जाता है, सम्पूर्ण जांच की जाकर ही विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। इससे किसी भी सहकाश्तकार हक व हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही वाद बाहुल्य बढेगा, बल्कि सहकाश्तकारान को लाभ होगा। वाद पत्र की मद संख्या 5 कानूनी है।

वादी द्वारा अपनें जबाब प्रार्थना में अन्य आपत्तियां दर्ज की जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादी द्वारा कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा हेतु विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। जिसमें सभी पक्षकारान के हित व हिस्से तय होने हैं। विभाजन का वाद आदेश 7 नियम 11 के अर्न्तगत खारिज नहीं किया जा सकता। वैसे भी माननीय न्यायालय द्वारा केवल वादी का वाद पत्र देखकर ही वाद डिक्री नहीं कर दिया जावेगा बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जावेगा, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर डिक्री जारी की जावेगी तथा उसके बाद तहसीलदार से भूमि विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया जावेगा है तथा सम्पूर्ण जांच की जाकर ही विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावेगी।

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वादी को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से व वाद को लम्बा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्राथी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि चक 3 बी छोटी के संयुक्त खाता संख्या 23/45 व संयुक्त खाता संख्या 50/47 के प्रत्येक सहकाश्तकारान का प्रत्येक किला की भूमि पर कब्जा होता है इसलिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना का निस्तारण होने से पूर्व खाता विभाजन किये जाने से सह काश्तकारान के हक व हितो पर विपरीत असर पड़ेगा तथा वाद बाहूल्य भी बढ़ेगा तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा इसलिए उक्त खातो की भूमि में आवाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित हो जाने के कारण प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

वादी के अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया कि विभाजन के बाद में माननीय न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है तथा उसके बाद तहसीलदार से भूमि विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया जाता है, सम्पूर्ण जांच की जाकर ही विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जाती है। इससे किसी भी सहकाश्तकार हक व हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही वाद बाहुल्य बढेगा, बल्कि सहकाश्तकारान को लाभ ही होगा। प्रतिवादीगण द्वारा मात्र वादपत्र को लम्बा करनें के उदेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादी को जो भी एतराज है वह अपने जबाव दावा में प्रस्तुत कर सकता था अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 23/45 व खाता संख्या 50/47 की कृषि भूमि में से केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा क की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग

राजस्व वाद संख्या संख्या 55/2018 अनवान महेन्द्र मोहन बनाम रविन्द्र खत्री
अन्तर्गत धारा :– राजस्थान. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53,
प्रकरण स0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

..... लगातार

अतः प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 55/2018 अनवान महेन्द्र मोहन बनाम रविन्द्र खत्री अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 04.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर